संख्या-76/2019/2057 ई-2/तेरह-2019-81/2006

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 23 अक्टूबर, 2019

विषय:- मेसर्स गुलरिया चीनी मिल (यूनिट बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड) जनपद-खीरी को स्वीकृत पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अन्तर्गत अधिक क्षमता की आसवनी स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी 45/दो प्रा.डी.-109/गुलरिया चीनी मिल, दिनांक 26-08-2019 तथा सं.-जी 62/दो प्रा.डी.-109/गुलरिया चीनी मिल, दिनांक 30-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 26-08-2019 तथा दिनांक 30-09-2019 द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स गुलरिया चीनी मिल (यूनिट बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड) जनपद-खीरी को स्वीकृत पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अन्तर्गत 300 लाख ली. वार्षिक क्षमता की आसवनी जिसके अन्तर्गत 300 लाख ली. वार्षिक क्षमता का अब्सोल्यूट अल्कोहल तथा 300 लाख क्षमता का ई.एन.ए. प्लान्ट के स्थान पर 160 कि.ली. प्रतिदिन (350 दिवस के आधार पर) 560 लाख ली. वार्षिक क्षमता की आसवनी, जिसके अन्तर्गत 160 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के वाश टू एथनॉल प्लान्ट स्थापना की अनुमति स्वीकृत पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान करने तथा आसवनी की स्थापना के पश्चात् बाजार की मांग के अनुसार डिनेचर्ड स्प्रिट/स्पेशली डिनेचर्ड स्प्रिट एवं एब्सोल्यूट अल्कोहल के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा सी.पी.सी.बी./यू.पी.पी.सी.बी. के मानकों के अनुसार इकाई में शून्य उत्प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (कन्सेन्ट्रेशन एवं इंसीनरेशन) की स्थापना की जाएगी एवं अपनी दैनिक/वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन किया जाएगा तथा आसवनी स्थापना के सम्बन्ध में नियमानुसार वांछित समस्त शर्तों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित/विद्यमान समस्त विधियों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in